... का पत्र हो

07/04/25 अधिवक्ता उक्त पत्रावली चलने योग्य है। नियत 17/04/25 को दिया है।

17/04/25 अधिवक्ता उक्त पत्रावली चलने योग्य है। नियत 24/04/25 को दिया है।

24/04/25 अधिवक्ता द्वारा मुख्य मूलवाद स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जा चुकी है अतः वि. प्र. पर आदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाता अतः वि. प्र. पर आदेश हेतु पत्रावली नियमित / नस्तगत कीजाकर पत्रावली रजिस्टर किया जाता है पत्रावली रजिस्टर है। पत्रावली दाखिलदफ्तर के हुक्म दिये जाकर निर्णय की सूची उपस्थापित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:16:32 IST
Reason: SelfAttested